Title: Need to provide benefit of Awasiya Vidyalaya Yojna to the girls of SC/ST category upto class fifth in Swai Madhopur Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के बालक, बालिकाओं के लिए सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय (समाज कल्याण) द्वारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी अनेकों प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। ये सभी योजनाएं स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इन अत्यन्त लाभ की योजनाओं का उपयोग क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है और न ही जन प्रतिनिधि को मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति की जानकारी दी जाती है। इस संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्ति करना चाहती हूं कि अनूसूचित जाति के चयनित परिवारों की बालिकाओं हेतु आपके द्वारा आवासीय विद्यालय की 25 बालिकाओं की योजना जिला परिद के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। इस योजना के तहत बालिकाओं को मात्र एक वर्ा के लिए ही शिक्षा हेतु साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे ही बालिका कक्षा-2 में आती है, योजना द्वारा बालिका को अग्रिम कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अतः यह एक अपूर्ण योजना ही है जिसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये बालिकाएं स्वयं ही शिक्षा लाभ से वंचित रह जाती हैं। यदि इस योजना को कक्षा-5 तक के लिए स्वीकृत कर दिया जाए तो प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे और गरीब परिवारों को इसका लाभ भी मिलेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके विभाग द्वारा स्वीकृत योजना एवं धनराशि का ब्यौरा योजना के शुरु में उपलब्ध करा दिया जाए और स्वयं सेवी संस्थाओं को भी यह निर्देश दिया जाए कि वे जन प्रतिनिधियों को भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी कराते रहें। साथ ही आवासीय विद्यालय की बालिकाओं के लिए शिक्षा 1 वर्ा से बढ़ाकर 5 वर्ा तक कर दिया जाए।